न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

(11)

[illegible]० न० 39 / 2021 तारीखरजू:– 21/6/2021

उनवानः– प्रहलाद बनाम धमोल वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
21-6-21	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील जिन्दल एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1030/0.19, 1032/0.11, 1053/0.08, 1054/0.32, 1702/0.10, 1739/0.15, 1744/0.16, 1804/0.11, 1805/0.09, 924/0.23, 927/2677/0.04, 928/0.06, 988/0.34 है0 कुल किता 13 कुल रकवा 1.98 है0 ग्राम शेखपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी पेशी दिनांक 08.07.2021 तक सायल के कब्जे काश्त मे बाधा पैदा नही करे।
	प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित [illegible] की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण [illegible] रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक [illegible]

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

3057-67
21/6/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:19:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

6

1/24

मु0न0:– 39/2021

उनवान:– प्रहलाद बनाम घमोल

किस्म:– प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली पेश हुई, सायल वकील उपरिथत, वकील गैरसायल न0 1 ता 6 उपस्थित, गैरसायल 7 ता 11 गत तारीख पेशी पर उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 13 कुल रकवा 1.98 है0, मे सायल की 1/3 हिस्से की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है, शेष हिस्से मे जगन्नाथ पुत्र भौरया हिस्सा 1/3, तथा रामस्वरूप पुत्र भोरया हिस्सा 1/3 के नाम दर्ज रिकार्ड है। मेरे हिस्से की जमीन से गैरसायलान का किसी प्रकार का कोई संबध नही है। सायल का प्राईमाफेसी केस साबित है तथा सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे है इसलिये गैरसायलान को तादावा फैसला दिनांक:– 21.06.2021 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्र्फम किया जावे। ताकि तादावा निर्णय तक उक्त आराजीयात मे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायल वकील द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी सायल प्रहलाद, गैरसायल रामस्वरूप पुत्र भौरया के अलावा खातेदार मृतक जगन्नाथ पुत्र भौरया के वारिसान कल्याण पुत्र रामप्रसाद, कैलाशी पुत्री रामप्रसाद, जगमोहन पुत्र रामप्रसाद, मुन्नी पुत्री जलधारी मुंशी पुत्र रामप्रसाद, सावो पुत्री जलधारी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। सायल मृतक जगन्नाथ की आराजी पर काबिज नही है नही उसका संबध है सायल बेईमान किस्म का आदमी है जो गैरसायलान की भूमि को हडपने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। विवादित आरजीयात मे से 4 बीधा कच्ची यानी 2 बीधा पक्की को हरमुख पुत्र रंगलाल मीना को 2,24,000 रूपये विक्रय कर कब्जा दे दिया गया था यह विक्रय नाम मृतक जगन्नाथ पुत्र भौरया, रामस्वरूप पुत्र भौरया मीना निवासी शेखपुरा ने किया है। खरीददार के वारिस गैरसायल रिन्कू पुत्र विशम्भर मीना निवासी शेखपुरा आज भी काबिज है। सायल व जगन्नाथ, गैरसायल रामस्वरूप के पिता भौरया से गैरसायल धमोल, रमेश के पिता फूलचन्द ने हाल ख0न0 1804/0.11 है0, 1805/0.09, अर्थात 17 बिस्वा भूमि को क्रय किया है तभी से आज तक बहैसियत मालिक खातेदार काबिज चले आ रहे है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम शेखपुरा जमाबन्दी सम्वत 20[illegible] 250 की कुल आराजीयात किता 13 कुल रकवा 1.98 है0 [illegible] प्रहलाद पुत्र जलधारी हिस्सा 1/3 जाति मीना [illegible] 1/3, रामस्वरूप पुत्र भौरया हिस्सा 1/[illegible] है। गैरसायलान द्वारा पत्रावली मे कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश [illegible] किया है जिससे विवादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा साबित होता हो। इसलिये प्राईमाफेसी केस सायल के पक्ष मे साबित होने से दिनांक 21.06.2021 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:19:27 IST
Reason: SelfAttested